

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, निर्माण भवन,
नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

ज्ञाप क्रमांक 39012 303/स्था./प्र.अ./16 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07/02/2020
प्रति,

संचालक
जनसंपर्क संचालनालय
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर

विषय : संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत बस्तर/सरगुजा संभाग अंतर्गत भृत्य के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में।

संदर्भ : पूर्व में प्रकाशित जी-35204 एवं जी-51284/3

-0-

कृपया संलग्न विज्ञापन को राज्य स्तरीय 04 हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
07/02/2020

पृष्ठांकन क्रमांक 39012 303 /स्था./प्र.अ./16 अटल नगर रायपुर, दिनांक 07/02/2020
प्रतिलिपि :

- (1) अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
- (2) संचालक, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड, कचहरी परिसर, होमगार्ड कार्यालय के पीछे, रायपुर (छत्तीसगढ़) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र
- (4) अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग मंडल
- (5) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (6) सर्वर प्रभारी कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर को लोक निर्माण विभाग के वेबसाईट <https://pwd.cg.nic.in> में तत्काल अपलोड करने हेतु अप्रेषित।

सहपत्र : उपरो. (स.क्र. 1, 2 एवं 6 हेतु)

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
07/02/2020
E/S

**कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, निर्माण विभाग
नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)**

--: विज्ञापन ::--

क्रमांक 39012 304 /स्था./प्र.अ./16 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07/02/2020

छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-7/2015/19/स्था.-3 दिनांक 18.11.2015 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर संविधान के पांचवी अनुसूची के अंतर्गत बस्तर तथा सरगुजा संभाग के चतुर्थ श्रेणी (भृत्य) के रिक्त पदों को केवल बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासियों से भरे जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के वेबसाईट <https://pwd.cg.nic.in/> पर दिनांक 10.02.2020 से 09.03.2020 तक सायं 05.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

जिलेवार रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र.	जिला का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छ.ग. के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	सरगुजा	6	1	14	3	1	-	4	-	1	-	1	-	02 (OA, OL, B, LV, HH)	24
2	सूरजपुर	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
3	बलरामपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	जशपुर	2	1	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	9
5	कोरिया	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	बस्तर	3	-	9	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	14
7	सुकमा	1	-	12	1	-	-	3	-	-	-	1	-	-	14
8	बीजापुर	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9	कांकेर	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
10	कोण्डागांव	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	कुल योग	18	2	50	10										80

विस्तृत विवरण, शैक्षणिक योग्यताएं तथा अन्य जानकारी लोक निर्माण विभाग के वेबसाईट <https://pwd.cg.nic.in> पर देखा जा सकता है।

**प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग**

नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

07/02/2020

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, निर्माण विभाग
नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक 39012305/स्था./प्र.अ./16

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07/02/2020

छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-7/2015/19/स्था.-3 दिनांक 18.11.2015 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर संविधान के पांचवी अनुसूची के अंतर्गत बस्तर तथा सरगुजा संभाग के चतुर्थ श्रेणी (भृत्य) के रिक्त पदों को केवल बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासियों से भरे जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई, जिसके अनुक्रम में इस कार्यालय के विज्ञापन क्र. 001/स्था./प्र.अ./15 दिनांक 17.10.2016 द्वारा विज्ञापन जारी करते हुए दिनांक 25.11.2016 तक सायं 05.00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था, जिसमें भृत्य पद हेतु शैक्षणिक योग्यता "पांचवी कक्षा पास" निर्धारित है।

छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक 198/एफ 2-3/2004/19/स्था.-3 दिनांक 17.01.2017 द्वारा "छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2016" प्रभावशील किया गया है, जिसमें भृत्य पद हेतु शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना निर्धारित है। छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-07/19/2015/स्था.-3 दिनांक 13.04.2018 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक 39012193/स्था./प्र.अ./16 दिनांक 04.05.2018 के माध्यम से ऊपर दर्शित पत्र द्वारा भृत्य पद पर नियुक्ति हेतु जारी विज्ञापन को निरस्त किया गया।

अतएव पुनः भृत्य के रिक्त पदों को केवल बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासियों से भरे जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के वेबसाइट <https://pwd.cg.nic.in/> पर दिनांक 10.02.2020 से 09.03.2020 तक सायं 05.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अंतर्गत भृत्य के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	जिला का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छ.ग. के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	सरगुजा	6	1	14	3	1	-	4	-	1	-	1	-	02 (OA, OL, B, LV, HH)	24
2	सूरजपुर	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
3	बलरामपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	जशपुर	2	1	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	9
5	कोरिया	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	बस्तर	3	-	9	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	14
7	सुकमा	1	-	12	1	-	-	3	-	-	-	1	-	-	14
8	बीजापुर	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9	कांकेर	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
10	कोण्डागांव	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	कुल योग	18	2	50	10										80

टीप :- भृत्य पद हेतु निःशक्तजन OA=एक बाजू, OL=एक टांग, B=दृष्टिविहीन, LV=निम्न दृष्टि, HH=श्रवण बाधित अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

अ. व. 2020

यह नियुक्तियों माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के रिट पिटीशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होंगी।

नियम एवं शर्तें :-

(1) वेतनमान का विवरण -

स.क्र.	पद का नाम	वेतनमान
(1)	भृत्य	वेतन मैट्रिक्स 15600-49400 (लेवल-1)

(2) शैक्षणिक योग्यता -

8वीं कक्षा उत्तीर्ण

(3) पात्रता की शर्तें -

- (i) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर जिला रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3 दिनांक 30.05.2019 के अनुसार बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासी ही संबंधित जिलों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के रिक्तियों पर भरती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अर्थात् आवेदक जिस जिले के रिक्त पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं, उन्हें उस जिले का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
- (ii) अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि तक छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट रहेगी)। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 616/922/1 (3)/74 दिनांक 18.09.1974 के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को छूट रहेगी। किन्तु उन्हें नियुक्ति के पूर्व रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
- (iii) अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(4) आयु -

- एक (क) दिनांक 01.01.2020 की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक न हो। आरक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार समस्त छूट सहित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। (छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर जिला-रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 दिनांक 30.01.2019 में दिये गये निर्देशानुसार)
- (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी (छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के परिपत्र क्र. एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के निर्देशानुसार)।
- (घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अधीन रहते हुए उच्चतर आयु-सीमा शिथिलनीय होगी :-

- (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी या स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये।
- (दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।
- (तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु-सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

- (ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु-सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 06 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात् :-

- (एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो।
- (दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें :-
- (क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर,
- (ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।
- (तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक।
- (चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं)।
- (पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छःमाह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो।
- (छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।
- (सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।

ab
25/1/2020

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

- (च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- (झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए, उच्चतर आयु-सीमा में, 08 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- (ञ) अभ्यर्थी, जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विधवा/तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टीप - (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 4 के खंड (एक) के उप-खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(5) निरर्हता -

- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में/चयन हेतु उपस्थित होने हेतु निरर्हित माना जा सकेगा।
- (2) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त,

Handwritten signature and date: 25/1/2020

घोषित न कर दिया जाये, परंतु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

- (4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक जाँच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।
- (5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस अपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम निराकरण न कर दिया जाए।
- (6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(6) चयन प्रक्रिया :-

1. उपरोक्त आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3 दिनांक 04.12.2012 के निर्देशानुसार रखा गया है।
2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 13-2/2014/आ.प्र./1-3 दिनांक 14.07.2017 के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण नियमों का पालन करने हेतु किसी भी संवर्ग में पदों की सीधी भरती के समय प्रत्येक प्रवर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पदों की गणना की जाएगी। पदों की गणना केवल पूर्णांकों के अनुसार ही की जाएगी। अर्थात् पदों की संख्या की गणना में दशमलव के अंक को मान्य नहीं किया जाएगा।
3. भूतय पद हेतु उनके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (8वीं कक्षा उत्तीर्ण) के आधार पर जिलेवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता प्रदान की जायेगी, जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
5. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19 निर्माण भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर को होगा।
6. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां उनके पदस्थगी कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. चयनित उम्मीदवार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी सक्षमता फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किसी भी समय अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त की जा सकती है।
9. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अधीनस्थ जिलों के लिए है। अतः चयनित उम्मीदवारों को बस्तर/सरगुजा संभाग के अंतर्गत संबंधित जिले (आवेदक जिस जिले के लिए आवेदन पत्र भरे है) के रिक्त पद के विरुद्ध ही उनकी पदस्थापना की जावेगी।
10. चयन के लिए प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19 निर्माण भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
11. लोक निर्माण विभाग के (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम 2016 के तहत सीधी भरती से नियुक्त कर्मचारियों की सेवा 02 वर्ष के लिए परिवीक्षा अवधि पर होगी। तत्पश्चात् योग्य पाये जाने पर नियमित किया जायेगा।
12. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूचियों की स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रति काउंसिलिंग के समय करना अनिवार्य होगा।
13. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 दिनांक 27.09.2014 के अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे, जो कम-से-कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हो। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ

अस
जन 2020

उठाना चाहता हो उसे, परिशिष्ट-I में दिये गये सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. डाक के माध्यम से प्राप्त हुए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
15. जाति के समर्थन में उम्मीदवार को शासन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति काउंसिलिंग के समय लाना अनिवार्य है।
16. तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को नियोक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है।
17. विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है। आवश्यकतानुसार संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
18. जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु पांचवी/आठवी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की स्वयं/राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिए जाने का अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे।
20. प्रतीक्षा सूची, मूल सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैध होगी।
21. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाणपत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।
22. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र के अलावा जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन अथवा प्रमाणीकरण संबंधी प्रमाण-पत्र की मांग आवेदकों से नहीं की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 29.06.2013 के कंडिका-6 (2) के अनुसार "आरक्षित पद पर नियुक्ति के उपरांत आवेदक के उपर्युक्त अनुक्रम में निर्धारित शपथ पत्र प्राप्त किया जावेगा, जिसमें प्रमाण-पत्र गलत अथवा कपट पूर्वक अभिप्राप्त करने की बात प्रमाणित होने की स्थिति में प्रदत्त लाभ एवं सुविधाओं पर व्यय की गई राशि भू राजस्व की भौति वसूल किए जाने से सहमति एवं प्रवृत्त कानूनों के तहत दण्ड का भागी होने संबंधी आशय निहित होगा।

23. विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
24. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करते हैं। अतः ऑनलाईन आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। काउंसिलिंग में सम्मिलित किये जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।

प्रमुख अभियंता

लोक निर्माण विभाग

नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

21/07/2020